माननीय एस. एस. सोधी, जे. के समक्ष

अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय, अपीलार्थी।

बनाम

राकेश गर्ग और अन्य, *-उत्तरदाता।*

Civil Revision No. 3419 of 1991

29 नवंबर, 1991।

(1) *हिंदू विवाह अधिनियम* (1955 *का* 25)-धारा *13ख* (2)-पारस्परिक *सहमति से तलाक के लिए डिक्री-याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने बीत जाने तक कोई भी प्रस्ताव स्वीकार या* मंजूर नहीं *किया जाना चाहिए-एक डिक्री जिसमें प्रावधानों की अवहेलना हो उसे शून्य माना जाता है।*

अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार इस निष्कर्ष से नहीं बचा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए डिक्री के लिए कोई प्रस्ताव तब तक स्वीकार या मंजूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि इस आधार पर तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से कम से कम छह महीने बीत नहीं जाते।इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए दिए गए तलाक के लिए किसी भी डिक्री को अमान्य माना जा सकता है।

(पैरा 13)

(2) *हिंदू विवाह अधिनियम* (1955 *का* 25)-धारा 13-बी (2)- तलाक *का फरमान अमान्य -वर्तमान कार्यवाही को मूल कार्यवाही की निरंतरता के रूप में माना जाएगा-पति पुनर्विवाहित-याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद से छह महीने बीत चुके हैं-पक्षकारों को याचिका प्रस्तुत करने से छह महीने की अवधि बीतने की तारीख से आपसी सहमति से तलाक के लिए डिक्री दी गई है।*

अभिनिर्धारित किया गया कि पक्षकारों को पारस्परिक सहमति से तलाक के लिए दी गई डिक्री अमान्य होने के साथ, वर्तमान कार्यवाही को, परिस्थितियों में, मूल कार्यवाही की निरंतरता के रूप में माना जाना चाहिए।इस प्रकार विचार किए जाने पर, इस बीच, यहाँ पक्षों की स्थिति में परिवर्तन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, अर्थात्; तलाक के लिए डिक्री दिए जाने के बाद और इस अदालत द्वारा उन्हें नोटिस जारी करने का आदेश दिए जाने से पहले,

याचिकाकर्ता ने 12 सितंबर, 1991 को पुनर्विवाह कर लिया।स्पष्ट भौतिक महत्व की इस घटना को ध्यान में रखते हुए, साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत किए जाने से अब तक छह महीने से अधिक समय बीत चुका है, और पक्षकार तब से अलग रह रहे हैं और अभी भी इस राहत की मांग कर रहे हैं, अब यह स्पष्ट रूप से न्यायाधीश के हित में होगा कि पक्षों को उस तारीख से आपसी सहमति से तलाक के लिए डिक्री दी गई है जब उनके द्वारा तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद से छह महीने की अवधि बीत चुकी थी।

(पैरा 14)

श्री एम. एस. लोबाना, अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय के आदेश से सिविल संशोधन।जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने 14 जनवरी, 1991 को *याचिका को* स्वीकार *करते हुए और पक्षों को तत्काल प्रभाव* से *आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा पार्टियों के विवाह को भंग कर दिया, जिससे पक्षकारों को अपना खर्च खुद वहन करना पड़ा.*

दावाः हिंदू विवाह अधिनियम की खंड 13 (3) पर आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा *विवाह को भंग करने के लिए याचिका।*

पुनरीक्षण में दावाःनिचली अदालत के आदेश को पलटने के लिए।

याचिकाकर्ता राकेश गर्ग की ओर से *अधिवक्ता हेमंत कुमार।*

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता *वी. पी. गुप्ता।*

निर्णय

एस. एस. सोधी, जे.

यहाँ का मामला हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की खंड 13 बी (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत आपसी तलाक के लिए एक डिक्री के अनुदान से संबंधित है, या अधिक सटीक होने के लिए, वह समय जो ऐसी राहत की मांग करने वाली याचिका दायर करने के बीच बीत जाना चाहिए औरःइसका अनुदान।

(2)अभिलेख के संदर्भ से पता चलता है कि अधिनियम की खंड 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक की याचिका इस मामले में 6 दिसंबर,

1990 को दायर की गई थी।यह 8 दिसंबर, 1990 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ की अदालत के समक्ष आया, जब इसे पक्षों की उपस्थिति के लिए 14 जनवरी, 1991 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था; उस दिन, यानी 14 जनवरी, 1991 को, पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद, उन्हें पारस्परिक सहमति से तलाक के लिए एक डिक्री दी गई थी, जैसा कि अनुरोध किया गया था।

(3) अधिनियम की खंड 13-बी के प्रावधान, निम्नानुसार हैंः–

"(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिए याचिका जिला न्यायालय में दोनों पक्षों द्वारा एक साथ की जा सकती है, चाहे ऐसा विवाह विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारंभ से पहले या बाद में इस आधार पर किया गया था कि वे एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग रह रहे हैं, कि वे एक साथ रहने में समर्थ नहीं हैं और कि वे पारस्परिक रूप से सहमत हैं कि विवाह विच्छेद किया जाना चाहिए।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट याचिका प्रस्तुत करने की तारीख के छह महीने से पहले और उक्त तारीख के अठारह महीने के बाद दोनों पक्षों के प्रस्ताव पर, यदि याचिका इस बीच में वापस नहीं ली जाती है, तो अदालत, इसके बाद संतुष्ट होने पर,पक्षकारों को सुनने के बाद और ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझे, कि विवाह संपन्न हो गया है और याचिका में किए गए कथन सही हैं, डिक्री की तारीख से विवाह को भंग करने की घोषणा करते हुए तलाक की डिक्री पारित करें।"

(4) यह देखा जाएगा कि इस वैधानिक प्रावधान में तलाक के लिए डिक्री देने की याचिका के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है, आपसी सहमति से और इसे प्रदान किया जा रहा है।इस तरह की समय-सीमा को नजरअंदाज करना मामले की विशिष्ट विशेषता है क्योंकि डिक्री याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने पहले दी गई थी।इस प्रकार इसका अनुदान स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 13-बी की उप- धारा (2) के प्रावधानों के

विपरीत था।

(5) इसके अलावा यह ध्यान देने योग्य है कि तलाक की याचिका में छह महीने की समाप्ति से पहले डिक्री देने के लिए किसी भी आधार का ध्यान दें नहीं किया गया है, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है।इसमें कोई संदेह नहीं है, अभिलेख पर एक आवेदन है, जिसमें छह महीने की इस प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है, लेकिन न्यायालय द्वारा उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

(6) इसके अलावा, उनके बयानों में, न तो पति और न ही पत्नी ने इस आशय की कोई प्रार्थना की कि डिक्री छह महीने की अपेक्षित अवधि की समाप्ति से पहले दी जाए।यह भी ध्यान देने योग्य है कि डिक्री देने वाले फैसले में, निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले डिक्री दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा करने का कोई कारण नहीं है।

(7) तथ्यों के संदर्भ में, जैसा कि बताया गया है, यह मामला उठाया गया था।स्वतः संज्ञान लेते *हुए और* पक्षकारों को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया था कि उन्हें दी गई आपसी तलाक की डिक्री को कानून के विपरीत होने के कारण दरकिनार क्यों नहीं किया जाए।

(8) खंड में प्रासंगिक प्रावधान के साथ।13-अधिनियम का बी "दोनों पक्षों द्वारा छह महीने से पहले नहीं किए गए प्रस्ताव पर" होने के कारण, विधायी इरादे को स्पष्ट और स्पष्ट नहीं माना जा सकता है।विशिष्ट, कि आपसी सहमति के लिए एक डिक्री पहले नहीं दी जानी है, छह।याचिका प्रस्तुत किए जाने की तारीख से निर्दिष्ट महीनों तक।उसकी उप-धारा (1) में।पार्टियों के वकील भी कानून के किसी भी प्रावधान की ओर इशारा नहीं कर सकते, जिसके तहत छह महीने की इस अवधि को कम किया जा सकता है।

(9) इस स्थिति का सामना करते हुए, वकील ने अपीलीय न्यायालयों के न्यायिक पूर्व निर्णय, विशेष रूप से इन निर्णयों की सहायता करने की मांग की। अदालत, अपील में, और कुछ अन्य उच्च न्यायालयों में भी, जहां पक्षों के बीच लंबित कार्यवाही को अधिनियम की धारा 13-बी के तहत एक में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी, जो उन्हें पारस्परिक सहमति से तलाक के लिए एक डिक्री में समाप्त हो गई थी।

(10) इस तरह के उदाहरण श्रीमती *द्वारा प्रदान किए* गए *हैं। कृष्ण*

खेतरपाल *बनाम* सतीश *लाल* [1], *इंद्रवाल बनाम* राधे *रमन और* एक *अन्य* [2], के. *ओमप्रकाश बनाम के.* नलिनी[3] , *श्रीमती.* सुरिंदर *कौर बनाम राजिंदर* सिंह[4], *दिनकर राव* नारायणराव *जैन बनाम* कमलाबाई *और एक* अन्य[5], *दलजीत सिंह* बनाम *अमरजीत कौर* [6], *श्रीमती. कुलजीत* कौर *बनाम* हरजीत *सिंह* [7], विजय *कपूर बनाम* सुरेश[8], *ललित* अमोनत्य *बनाम दीमाबती* अमोनत्य [9], *माया देवी बनाम राम कुमार*[10] और विरपाल कौर बनाम परविंदर पाल सिंह[11]।

(11) उद्धृत निर्णयों को पढ़ने से पता चलता है कि इन सभी मामलों में पक्षकार अधिनियम की धारा 13-बी (2) में निर्धारित अवधि से अधिक समय से मुकदमेबाजी कर रहे थे और यही उन मामलों में वर्तमान से विशिष्ट विशेषता प्रदान करता है।दूसरे शब्दों में, उन्हें अधिनियम की धारा 13-बी (2) में उल्लिखित अवधि में किसी भी कमी को सक्षम या अधिकृत करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

(12) ऐसी याचिका दायर करने की तारीख से कम से कम छह महीने की अवधि के लिए आपसी सहमति से तलाक के लिए डिक्री के अनुदान को स्थगित करने के लिए विधायिका के लिए एक निश्चित नीति और तर्क है।इसका उद्देश्य पक्षकारों को तलाक के लिए अदालत में जल्दबाजी करने से रोकना है, उन्हें चीजों को शांत तरीके से सोचने का अवसर प्रदान करना या जैसा कि लैटिन वाक्यांश लोकस पेनिटेंटिया *जाता है।इसलिए* अधिनियम की धारा 13-बी (2) में उल्लिखित समय-सीमा को केवल निर्देशिका नहीं माना जा सकता है।

(13) इस प्रकार इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि धारा के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए डिक्री के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। 13- बी अधिनियम के के तहत आपसी सहमति से तलाक को तब तक स्वीकार या स्वीकृत किया जा सकता है जब तक कि इस आधार पर तलाक के लिए

[1] A.I.R. 1987 Pb. & Hy. 191
[2] A.I.R. 1981 Allahabad 151
[3] A.I.R. 1986 A.P. 167
[4] 1988(1) H.L.R. 325
[5] 1986(1) H.L.R. 560
[6] 1988 (1) H.L.R. 666
[7] 1989 (2) H.L.R. 72
[8] 1989 (2) H.L.R. 392
[9] 1990 (1) H.L.R. 282
[10] 1990 (2) H.L.R. 104
[11] 1990 (2) H.L.R. 114

याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से कम से कम छह महीने बीत न जाएं।इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए दिए गए तलाक के लिए किसी भी डिक्री को अमान्य नहीं माना जा सकता है।इसलिए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने छह महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यहां पक्षों को आपसी सहमति से तलाक के लिए एक डिक्री देने में स्पष्ट रूप से गलती की।

(14) पक्षकारों को पारस्परिक सहमति से तलाक के लिए दी गई डिक्री अमान्य होने के कारण, वर्तमान कार्यवाही को, परिस्थितियों में, मूल कार्यवाही की निरंतरता के रूप में माना जाना चाहिए।इस प्रकार विचार किए जाने पर, इस बीच, यहाँ पक्षों की स्थिति में परिवर्तन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, अर्थात्; तलाक के लिए डिक्री दिए जाने के बाद और इस अदालत द्वारा उन्हें नोटिस जारी करने का आदेश दिए जाने से पहले, याचिकाकर्ता राकेश गर्ग ने 12 सितंबर, 1991 को पुनर्विवाह कर लिया।स्पष्ट भौतिक महत्व की इस बाद की घटना को ध्यान में रखते हुए, साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत किए जाने से अब तक छह महीने से अधिक समय बीत चुका है, और पक्षकार हमेशा से अलग रह रहे हैं और अभी भी इस राहत की मांग कर रहे हैं, अब यह स्पष्ट रूप से न्यायाधीश के हित में होगा कि पक्षों को उस तारीख से आपसी सहमति से तलाक के लिए डिक्री दी गई है जब उनके द्वारा तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद से छह महीने की अवधि बीत चुकी थी।यह तारीख 7 मई, 1991 है।आपसी सहमति से तलाक के लिए एक डिक्री तदनुसार इस तारीख से उन्हें दी जाती है।

(15) इस संशोधन याचिका का निपटारा इन शर्तों में किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

विनीत कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा।